संख्या- 334 /2025/ 3480 /चार-2025-1938958

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 02 दिसम्बर, 2025**

विषयः- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार में शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु वाहन (टैक्सी) उपयोग करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विषयक शासनादेश संख्या- 331 /2025 /2692 /चार-2025-1938958 दिनांक 21 नवम्बर, 2025 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 331 /2025 /2692 /चार-2025-1938958 दिनांक 21 नवम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 331 /2025 /2692 /चार-2025-1938958 दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के प्रस्तर-3 में टंकण त्रुटिवश लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-15- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद मद के स्थान पर लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय अंकित हो गया है।

3. इस संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 331 /2025 /2692 /चार-2025-1938958 दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के प्रस्तर-3 में अंकित 'लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय' के स्थान पर 'लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-15- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद मद' पढ़ा जाए।

4. उक्त शासनादेश संख्या- 331 /2025 /2692 /चार-2025-1938958 दिनांक 21 नवम्बर, 2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in